क्रम-संख्या–240

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 17, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1914 / वि0स0 / संसदीय / 160(सं)-2022

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 16-क का संशोधन

2—इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है), की धारा 16 क की उपधारा (1) में शब्द ''प्रत्येक संस्था के लिये'' के स्थान पर शब्द ''राज्य सरकार से सहायता प्राप्त प्रत्येक संस्था के लिये'' रख दिए जाएंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा द्वितीय (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

संस्थाओं का कुशल संचालन एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना में आचार्य अथवा प्रधानाचार्य के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य और प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कृत्य विहित किये गये हैं। तथापि प्रायः यह देखा जाता है कि संस्था के सदस्यों द्वारा एक साथ दो प्रबन्ध समितियों का गठन करके विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके कारण संस्था के कुशल संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों अथवा बेसिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में कोई प्रशासन योजना तंत्र नहीं है। इसके स्थान पर उपर्युक्त विद्यालयों का प्रबन्धन/संचालन रजिस्ट्रार, सोसाइटी एवं चिट्स फण्ड द्वारा अनुमोदित/प्रमाणित साधारण सभा की समिति द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों का संचालन मात्र मूल संस्थाओं द्वारा किए जाने का उपबंध करने हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16—क में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने हेतु तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2022 को इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

गुलाब देवी
राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार),
माध्यमिक शिक्षा।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (द्वितीय संशोधन) विधेयक द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धारा का उद्धरण।

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

धारा 16–क (1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी (जिसे एतत्पश्चात प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गई हो या उसके बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबंध–समिति (जिसे एतत्पश्चात प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जाएगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का प्राधिकार निहित होगा। प्रत्येक अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्व–वित्तपोषित संस्था की प्रशासन योजना में प्रबन्ध समिति के अधिकार, कर्तव्य एवं कार्य निर्धारित किये गये हैं। संस्था संचालन एवं प्रबंधक की उपर्युक्त व्यवस्था में प्रबन्ध समिति में अनावश्यक हस्तक्षेप की सम्भावना बनी रहती है एवं प्रबन्ध समिति की संचालन की स्वतन्त्रता बाधित होती है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 595/XC-S-1–22-25S-2022
Dated Lucknow, December 8, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Intermediate Shiksha (Dviteeya Sanshodhan) Vidheyak, 2022" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 6, 2022.

THE INTERMEDIATE EDUCATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Intermediate Education Act, 1921.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Intermediate Education (Second Amendment) Act, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from October 4, 2022.

Amendment of section 16-A of U.P. Act no. 2 of 1921

2. In sub-section (1) of section 16-A of the Intermediate Education Act, 1921, (hereinafter referred to as the "principal Act") *for* the words "for every institution", the words "for every State Government Aided Institution" shall be *substituted* .

Repeal and saving

3. (1) The Intermediate Education (Second Amendment) Ordinance, 2022 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 9 of 2022

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The powers, duties and functions of the Acharya or Principal and the rights, duties and functions of the Management Committee have been prescribed in the administration plan of each institution in order to ensure the efficient operation and management of the institutions. However, it is often seen that disputes are created by the members of the institutions by forming two management committees simultaneously due to which there is disturbance in the efficient running of the institution.

It is notable that there is no system of administration scheme in the schools run by the non-Government recognized institutions under CBSE board or schools run under Basic Education. Instead, the management/operation of the above schools is done by the committee of the General Assembly approved/certified by the Registrar Society and Chits Fund. In view of the above, it was decided to amend section 16-A of the Intermediate Education Act, 1921 to provide for the running of the self-financed Secondary Schools recognized by the U.P. Madhyamik Shiksha Parishad by the parent institutions only.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Intermediate Education (Second Amendment) Ordinance, 2022 (U.P. Ordinance no. 9 of 2022) was promulgated by the Governor on October 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

GULAB DEVI
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Madhyamik Shiksha.

———————

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1012 राजपत्र—2022—(1640)—599+5+25=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1012 RPH (Intermemiate dviteeya sansodhan) (Sansadiya) 2022 Data 7e